संख्या- 19/2016/103/71-2-16-एस-14/2015

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान,
सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 08 फरवरी, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में संस्थान के लिए 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्थान के पत्र संख्या-3769/ई/रिम्सएण्डआर/2015-16 दिनांक 01 जनवरी, 2016 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-76/2015/2821/71-2-15-एस-14/2015 दिनांक 03 सितम्बर, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई इटावा के लिए आयोजनागत पक्ष में 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष रू0 57,50,000/- (रूपया सत्तावन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त सहित प्रदान की जा रही है कि 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) से स्वीकृत धनराशि का आहरण, आवश्यकतानुसार एवं व्यय, नियमानुसार किया जायेगा।

3- धनराशि उसी मद में खर्च की जायेगी जिसके लिये इसकी स्वीकृति दी जा रही है। अन्य मद में खर्च वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा एवं धनराशि के उपयोग की स्थिति से यथासमय अवगत कराया जाएगा।

5- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, आर0आई0एम0एस0 सैफई इटावा द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेखानुदान में अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0328-रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई इटावा-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-3/148/दस/2015 दिनांक 05 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 19/2016/103(1)/71-2-16-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, इटावा।
3. वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, आर0आई0एम0एस0 सैफई इटावा।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0
7. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन ।
8. गार्ड फाइल/निजी सचिव, विशेष सचिव (श्री भट्टाचार्य) उक्त शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in